प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पन पुत्र श्री कुंवरपाल शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16599/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2021) दिनांक-12.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पन पुत्र श्री कुंवरपाल शर्मा, ग्राम-शेखपुर गढवा, थाना-खानपुर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बंदी द्वारा पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में दिनांक 26.03.2000 को सुबह लगभग 9:30 बजे 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमंचा व लाठी से मारकर उदयभान, तेजवीर एवं बिटटू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-884/2000 भा0द0सं0 की धारा-323/149, 307/149, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-04, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 29.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.03.2021 तक 20 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी जवान उम्र का होने एवं छोड़े जाने पर पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, जघन्य अपराध का दोषी होने एवं अपराध करने में अभी अशक्त नहीं होने, बंदी को मुक्त रहना जनहित में नहीं होने, परिवार की आर्थिक/सामाजिक स्थिति सामान्य होने तथा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत जेल में रखा जाना उचित होने, बंदी के माता पिता की मृत्यु होने एवं दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में दिनांक 26.03.2020 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमंचा व लाठी से मारकर उदयभान, तेजवीर एवं बिटटू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, विवाद समाप्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, अभिभावक उपयुक्त न होने के कारण लाइसेंस की पात्रता पूर्ण न करने जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पन पुत्र श्री कुंवरपाल शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-75/2021 टुक्की व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पन (बन्दी संख्या-15800) पुत्र श्री कुंवरपाल शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-139/2021/1374(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-139/2021/1374/22-2-2021-17(597)/2021

दिनांक 09 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पन पुत्र श्री कुंवरपाल शर्मा, ग्राम-शेखपुर गढवा, थाना-खानपुर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बंदी द्वारा पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में दिनांक 26.03.2000 को सुबह लगभग 9:30 बजे 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमंचा व लाठी से मारकर उदयभान, तेजवीर एवं बिटटू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-884/2000 भा0द0सं0 की धारा-323/149, 307/149, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-04, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 29.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.03.2021 तक 20 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी जवान उम्र का होने एवं छोड़े जाने पर पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, जघन्य अपराध का दोषी होने एवं अपराध करने में अभी अशक्त नहीं होने, बंदी को मुक्त रहना जनहित में नहीं होने, परिवार की आर्थिक/सामाजिक स्थिति सामान्य होने तथा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत जेल में रखा जाना उचित होने, बंदी के माता पिता की मृत्यु होने एवं दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में दिनांक 26.03.2020 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, तमंचा व लाठी से मारकर उदयभान, तेजवीर एवं बिटटू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, विवाद समाप्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, अभिभावक उपयुक्त न होने के कारण लाइसेंस की पात्रता पूर्ण न करने जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पन पुत्र श्री कुंवरपाल शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in